जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सीआईएन:यू40109आरजे2000एसजीसी016486
पंजी.कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष/फैक्स : 0141–2747019 ; वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेल : secyadmn@jvvnl.org / ddpestt@jvvnl.org

''प्रभास्मि शशि सूर्ययोः''

क्रमांकःजेपीडी./प्रशा./एचआर/संस्था/पत्रा.1(134)/प्रे. : 2109 दिनांक : 30.12.2021

आदेश

कोविड के नए वैरिएंट 'Omicron' के काफी अधिक संख्या में म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) एवं डेल्टा वैरिएंट से अधिक संक्रामक होने के मद्देनजर नए वैरिएंट के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये है, जिसमें राजकीय कार्यालयों के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश वर्णित हैं :–

1. समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड–19 की दोनों डोज (1st & 2nd dose) लगवा लें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st & 2nd dose) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगायें कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगवाई जा चुकी है।
3. दिनांक 31 जनवरी, 2022 पश्चात् कार्यालयों में डबल डोज (1st & 2nd dose) वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः निगम के समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवम् कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि वह :–

1. निगम कार्यालयों में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ''स्वयं एवं स्टाफ (ठेका कर्मचारियों सहित) द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगवाई जा चुकी है'' – बाबत् प्रमाण पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2022 सायं 5.00 बजे तक मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगवायें कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगवाई जा चुकी है।
4. मुख्य अभियन्ता–पदार्थ प्रबन्ध निगम के समस्त कार्यालयों में सेनेटाइजर एवम् मास्क की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता पूर्व में आदेश क्रमांकःजेपीडी/प्रशा/एचआर/संस्था/पत्रा.1(134)/प्रे.750 दिनांक 23.04.2021 द्वारा गठित Anti Covid Team (ACT) को सक्रिय कर आवश्यकता होने पर प्रभावित विद्युत कर्मियों को तुरन्त प्रभाव से सहायता पहुंचायेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं मुख्य कार्मिक अधिकारी स्तर पर संकलित कर प्रस्तुत की जाएगी।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाऐं।

Navin
(नवीन अरोड़ा)
प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सीआईएनःयू40109आरजे2000एसजीसी016486
पंजी.कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष/फैक्स : 0141–2747019 ; वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेल : secyadmn@jvvnl.org / ddpestt@jvvnl.org

''प्रभास्मि शशि सूर्ययोः''

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य/संभागीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर डि़स्कॉम,
2. मुख्य लेखा नियन्त्रक/मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
3. अति.पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर डि़स्कॉम,
5. समस्त मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक कार्मिक ( )/उप निदेशक कार्मिक ( ), जयपुर डि़स्कॉम,
7. कम्पनी सचिव, जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
8. समस्त अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, जयपुर डि़स्कॉम,
9. समस्त कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम,
10. प्रावै0सहा0–माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार।
11. प्रावै0सहा0–अध्यक्ष, डि़स्कॉम्स, जयपुर।
12. प्रावै0सहा0–प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(वित्त/तक.), जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
14. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(वित्त/तक.)/सचिव (प्रशासन), जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

(जगजीत सिंह मोंगा)
सचिव (प्रशासन)